

7

शिक्षण-प्रविधियाँ (Teaching-Techniques)

शिक्षण का आधुनिक प्रत्यय शिक्षार्थी को 'सीखना सिखाना' (Learning to learn) है। इसका आशय यह है कि अध्यापक विभिन्न क्रियाओं, विधियों तथा सहायक सामग्री आदि की सहायता से विद्यार्थी को अधिगम हेतु प्रेरित करता है। इस प्रकार बालक में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए वह शिक्षण क्रियाओं पर बल देता है। शिक्षक कौन-कौन सी क्रियायें आयोजित करे जिसके द्वारा शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त किये जा सकें, इसके लिए शिक्षण की व्यूह-रचना करनी पड़ती है।

शिक्षण-प्रविधि का अर्थ

व्यूह-रचना (Strategy) का शाब्दिक अर्थ युद्ध कला या युद्ध कौशल से है। इसके अनुसार युद्ध के लिए सेना को उचित स्थान पर तैनात कर युद्ध में सफल होने का प्रयत्न करना व्यूह-रचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में व्यूह-रचना एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसकी सहायता से कार्य के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्य इच्छित रूप में भलीभाँति तथा कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया जाता है।

शिक्षण की प्रक्रिया मानवीय व्यवहारों में परिवर्तन से जुड़ी है, अतः यह एक जटिल एवं व्यापक प्रक्रिया है। अध्यापक अपने कार्य को केवल अध्यापन विधि तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री की सहायता से ही पूरा नहीं कर सकता। उसकी शैक्षिक क्रियाएँ पाठ्यवस्तु की प्रकृति, विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर एवं योग्यताएँ, शिक्षण उद्देश्य आदि पर आश्रित होती हैं। सीखने के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्य-विश्लेषण शिक्षण के प्रस्तुतीकरण के लिए आधार प्रदान करते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए एक पूर्व-नियोजित कार्य योजना का निर्माण करता है। इस कार्य योजना को शिक्षण की व्यूह-रचना कहते हैं। शिक्षण-व्यूह-रचना की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

स्टोन तथा मैरिस¹ (E. Stones and S. Moris)

“शिक्षण-व्यूह-रचना पाठ की एक सामान्यीकृत योजना है जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना शिक्षण के उद्देश्यों के रूप में होती है तथा इसको लागू करने के लिए आवश्यक शिक्षण युक्तियाँ (Teaching tactics) की रूपरेखा सम्मिलित होती है।”

1 Stones E. & Morris, “Teaching : Practice, Problem & Perceptive”, Methun & Co. Ltd., London, 1968.

डेवीज¹ (Ivor K. Davies)

“शिक्षण-व्यूह-रचना एक पूर्व शिक्षण नियोजन कला है।”

बी. ओ. स्मिथ²

“शिक्षा-व्यूह-रचना कार्य के उन रूपों को कहते हैं जिन्हें कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा ये उपस्थित होने वाले व्यवधान से रक्षा करते हैं।”

शिक्षण-व्यूह-रचना में अध्यापक शैक्षिक तकनीकी का उपयोग इस प्रकार करता है कि छात्रों में वांछित परिवर्तन लाकर शैक्षिक उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सके। यह शिक्षण की सामान्य योजना है जिसमें क्रियान्विति के विभिन्न चरण पूर्व-निर्धारित कर लिए जाते हैं। इसमें शिक्षण के सभी पक्ष जैसे सीखने के अनुभव, पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, विद्यार्थी का मानसिक स्तर और उसकी योजना, रुचि तथा उसकी आयु, शिक्षक-शिक्षार्थी अन्तःक्रिया आदि का ध्यान रखकर उन्हें क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है।

शिक्षण विधियों तथा शिक्षण-व्यूह-रचना में भेद होते हुए भी शिक्षण विधियाँ व्यूह रचना में बदली जा सकती हैं। यदि कोई शिक्षण विधि परम्परागत ढंग से विषय वस्तु को प्रधानता न देते हुए उद्देश्य आधारित हो तो इसे शिक्षण व्यूह रचना से सम्बोधित करते हैं। शिक्षण विधियों में अध्यापक शिक्षण की प्रविधियों (Instructional techniques) का उपयोग करता है। यदि वह शिक्षण युक्तियों (Teaching tactics) का सहारा ले तो यह शिक्षण-व्यूह-रचना बन जाती है। उदाहरण के लिए व्याख्यान देना एक विधि है। यदि कक्षा में अध्यापक विषय-वस्तु का प्रस्तुतीकरण इस विधि से किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करे तथा शिक्षण की विभिन्न युक्तियों का उपयोग करे तो यह शिक्षण की व्यूह-रचना बन जायेगी।

शिक्षण प्रविधि के तत्त्व (Elements of Teaching Techniques)

शिक्षण व्यूह-रचना के प्रमुख रूप से दो तत्त्व माने गये हैं। ये तत्त्व क्रमशः शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण कौशल हैं। चूँकि शिक्षण-व्यूह-रचना अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है अतः इन दोनों तत्त्वों का इसमें सक्रिय होना आवश्यक है।

शिक्षण-युक्तियों का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Teaching Tactics)

शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ करता है। ये क्रियाएँ वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार शिक्षण-व्यूह-रचना में कारणीय शिक्षण-क्रियाओं को शिक्षण-युक्तियाँ कहते हैं। शिक्षण की सफलता के लिए ये युक्तियाँ आधार प्रदान करती हैं। शिक्षण-युक्ति ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि एक कुशल वकील अपने पक्ष को प्रस्तुत करने तथा वाद को जीतने के लिए नई-नई अटकलें लगाता है। अथवा एक कुशल शतरंज का खिलाड़ी बाजी जीतने के लिए नई-नई चालों को सोचता रहता है। सफल अध्यापक भी शिक्षण के दौरान आने वाली जटिल परिस्थितियों का हल इन युक्तियों की सहायता से कर लेता है। शिक्षण युक्तियों में शिक्षण-विधियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अब उनका उपयोग परम्परागत रूप से न कर शिक्षण-उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध रूप में किया जाय।

- 1 Davies, I. K., “The Management of Learning” Mc Graw Hill London 1971.
- 2 Smith, B. O., “Towards a Theory of Teaching” Arno Bolliack Teachers College Press, Columbia, N. Y. 1968.

शिक्षण-युक्तियों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है—

ई. स्टोन्स और एस. मोरिस¹ (E. Stones & S. Morris)

“शिक्षण-युक्ति उद्देश्य-केन्द्रित है तथा यह शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसमें शिक्षक द्वारा समय तथा परिस्थिति के अनुसार किये गये वे व्यवहार आते हैं जो शिक्षण को सफल बनाने में सहायक हों।”

इस प्रकार शिक्षण-युक्तियाँ शिक्षक की उन विभिन्न भूमिकाओं से सम्बन्धित हैं जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अन्तःक्रिया से सफलतापूर्वक शिक्षण-उद्देश्य प्राप्त करने में मदद प्रदान करें।

विचार-विमर्श कौशल (SKILL OF DISCUSSION)

विचार-विमर्श कोई नवीन प्रत्यय नहीं है। घरों में अथवा सामाजिक अवसरों पर अक्सर विचार-विमर्श किया जाता है। उदाहरणार्थ—समाज में ‘दहेज प्रथा कैसे समाप्त करें’ प्रकरण पर अक्सर सामाजिक विचार-विमर्श चलता रहता है। विद्यार्थी भी समय-समय पर अपनी समस्याओं से निपटने के लिए आपस में तथा अपने से बड़ों के साथ विचार-विमर्श करते रहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से आश्रम भी विचार-विमर्श के केन्द्र थे। आचार्य अपने शिष्यों के साथ ज्ञान-बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करते थे। परन्तु आश्रमों के समाप्त होने पर यह तकनीक भी शिक्षा से धीरे-धीरे समाप्त हो गई।

जनतान्त्रिक शासन प्रणाली के प्रारम्भ होने से पुनः विचार-विमर्श तकनीक को बल मिला। विचार-विमर्श कक्षा-कक्ष के वातवरण को सजीव एवं रोचक बना देता है। यदि अध्यापक लगातार व्याख्यान देता रहे तो शिक्षार्थी उसे सुनते-सुनते थक जाते हैं। उनकी स्थिति केवल एक मूक दर्शक के रूप में होती है। इसके विपरीत यदि वह शिक्षण में विचार-विमर्श तकनीक का प्रयोग करता है तो उसमें कक्षा के अधिकतम शिक्षार्थी भाग लेते हैं तथा विचार व्यक्त करते हैं।

विचार-विमर्श का अर्थ (Meaning of Discussion)—गुड (Good) ने शब्दकोष के अनुसार विचार-विमर्श किसी प्रकरण या समस्या से सम्बन्धित एक ऐसी प्रविधि है जिसमें शिक्षार्थी अपनी विचार-विमर्श के उपरान्त एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः समाजवादी समाज में किया जाता है। यह प्रविधि वाद-विवाद से भिन्न है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाला व्यक्ति समस्या के मूल स्रोत को तलाश करता है, जबकि वाद-विवाद में वह सत्य को खोजने का प्रयास करने की अपेक्षा बहस के द्वारा अपने पक्ष को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है।

क्लार्क और स्टार (Clark and Star)—“विचार-विमर्श में किसी व्यक्ति के अहं की सन्तुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं है और न ही इसमें किसी को अपने विचार अन्य व्यक्तियों पर थोपने का अवसर दिया जाता है, न ही यह व्याख्यान अथवा विवेचन का पर्यायवाची है।

इस प्रकार विचार-विमर्श में विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहते हैं तथा शिक्षक उनको आवश्यकतानुसार निर्देश प्रदान करता है। यह शिक्षार्थी केन्द्रित शिक्षण-प्रविधि है जोकि अध्यापक के कुशल मार्गदर्शन में सम्पन्न होती है।

(1) विवेचन प्रविधि (Discussion Techniques)—विवेचन भाषा-शिक्षण में विशेष उपयोगी है। इसके अन्तर्गत शिक्षक एवं छात्रों में पारस्परिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त विचारों का आदान-प्रदान होता है। इसमें शिक्षक किसी प्रश्न या समस्या को निर्धारित कर देता है। तत्पश्चात् शिक्षक और छात्र मिलकर पूर्व निर्धारित प्रश्न या समस्या पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार-विमर्श करते हैं। विचार-विमर्श द्वारा सम्बन्धों का विश्लेषण एवं तुलना होती है और मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जेम्स के अनुसार—“विवेचन

एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है, जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं।¹ शिक्षा-शब्दकोश में विवेचन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, "विवेचन एक क्रिया है, जिसमें लोग एक प्रकरण या समस्या के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने अथवा एक समस्या के लिए सभी सम्भावित उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित उत्तर खोजने की दिशा में परस्पर बातचीत करते हैं।"²

विवेचन के प्रकार—यह दो प्रकार का होता है—

1. औपचारिक विवेचन,
2. अनौपचारिक विवेचन।

औपचारिक विवेचन—इसमें किसी प्रकरण या समस्या पर विवेचन निश्चित नियमों के अनुसार होता है। विवेचन पर नियन्त्रण एवं निर्णय आदि के लिए अध्यक्ष एवं सचिव आदि को चुना जाता है। विवेचन की समस्त कार्यवाही लिखी जाती है।

अनौपचारिक विवेचन—इसमें किसी समस्या/प्रकरण पर शिक्षक एवं छात्र स्वतन्त्रतापूर्वक बातचीत करते हैं। इसमें नियमों का बन्धन नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को स्वतन्त्रता से व्यक्त करने का प्रशिक्षण देना है।

विवेचन की प्रक्रिया—इसमें विवेचन के संचालन के लिए एक अध्यक्ष एवं एक सचिव का पद होता है। अध्यक्ष विवेचन का संचालन करता है और सचिव विवेचन की समस्त कार्यवाही लिखता है। भाग लेने वाले समस्त अन्य छात्र होते हैं। शिक्षक एवं छात्र मिलकर विवेचन के लिए किसी समस्या या प्रकरण को चुनते हैं। समस्या या प्रकरण का चुनाव हो जाने पर शिक्षक उसके अध्ययन के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है और उससे सम्बन्धित सन्दर्भ—पुस्तकों का विवरण देता है। छात्र समस्या या प्रकरण से सम्बन्धित विषयवस्तु का अध्ययन करते हैं। पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयारी करते हैं। निर्धारित तिथि पर छात्र विचार-विमर्श करते हैं। अध्यक्ष नियमानुसार इसका संचालन करता है। विवेचन को नियन्त्रित रखता है। विवेचन की कार्यवाही सचिव लिखता जाता है। हिन्दी-शिक्षक एक सामान्य सदस्य के रूप में बैठता है। छात्रों द्वारा किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव किये जाने पर शिक्षक उनका पथ प्रदर्शन करता है। छात्र एक-दूसरे से प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। विवेचन समाप्त हो जाने पर शिक्षक समस्या से सम्बन्धित अपनी संक्षिप्त टिप्पणी या समीक्षा प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात् विवेचन के समापन की घोषणा करता है।

शिक्षण पद—इसमें निम्नलिखित शिक्षण पदों का अनुसरण किया जाता है—

1. समस्या का चयन एवं प्रस्तुतीकरण
2. विवेचना
3. अभिलेखन
4. मूल्यांकन
5. समापन।

विवेचना के गुण—इसके निम्नलिखित गुण हैं—

1. यह उच्च स्तर के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है।

1 "Discussion is an educational group activity in which the teacher and students co-operatively talk over problem or topic."—James, M. Lee : Principles and Methods of Secondary Education, p. 304.

2 "Discussion is an activity in which people talk together in orders to share information about a topic or problem or to seek answers to a problem based on all possible available evidence." —Dictionary of Education. p 187.

118 । पाठ्यक्रम में भाषा

2. इससे छात्रों में सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना विकसित होती है।
3. यह छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देता है।

4. यह छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रोत्साहित करता है।
5. इससे छात्रों की तर्क शक्ति एवं निर्णय शक्ति विकसित होती है।
6. यह छात्रों में आत्म-निर्देशन एवं स्व-अनुशासन पर बल देता है।

सीमायें—इसकी निम्नलिखित सीमायें हैं—

1. इससे शिक्षण में समय अधिक लगता है।
2. यह निम्न स्तर पर उपयोगी नहीं है।
3. अधिकांश छात्र व्यर्थ के वाद-विवाद में उलझ कर समय नष्ट करते हैं।
4. इसमें मन्द-बुद्धि बालक एवं लजीले बालक समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं।
5. सभी हिन्दी शिक्षक विवेचन के सफलता पूर्वक संचालन की क्षमता नहीं रखते हैं।